

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ बास(अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

मालेखा बनाम ईसब

7.9.21

आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.10.21 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा न0 1092 रकबा 1.1300हे0, 1084 रकबा 0.5700हे0, 1085 रकबा 0.5700हे0, 1091 रकबा 3700हे0, 1099 रकबा 0.2500हे, 1100 रकबा 0.1000हे, 1120 रकबा 0.0600 हे0, 1143 रकबा 0.4000हे0, 1183 रकबा 0.2900हे0 824 रकबा 0.2300हे0, कित्ता 09 रकबा 2.5400 हे0, ख0न0 1082 रकबा 0.7600हे0, 1086 रकबा 0.5900 हे0, 1080 रकबा 1.2500 हे0, 190 रकबा 0.0300हे0, 1078 रकबा 0.7000हे0, 447/2 रकबा 0.0400 हे0, 1083 रकबा 0.5500हे0, 812 रकबा 0.3200हे0. 1153 रकबा 0.1000हे0, 1179 रकबा 0.2900हे0, 1119 रकबा 0.8200हे0, 44 रकबा 0.3700हे0, 489/48 रकबा 0.9000 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

क्यो ना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 4.10.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

4-10-21 वकील प्रार्थी उप0 अनिषेधाज्ञा अनुसार पतापढी  
दिनांक 15-11-21 को पेश हो। P.0 साहू  
कुनाल कर्मा ने वास्तु हेस

1-12-21 प्रार्थी | यदि के वकील ने स्थगन | प्रार्थना पर को  
विज्ञा करने हेतु प्रार्थना पर पेश किया है प्रार्थना  
पर स्वीकार किया जा रहा है। अतः प्रार्थी के  
प्रार्थना पर प्रार्थना पर स्वीकार किया जा रहा  
है परन्तु प्रार्थी के द्वारा दी गई स्तम्भ  
बाद रहे।

उप जिला कलेक्टर  
किशनगढ़-बास (अलवर)